MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR नगरपालिका कलानौर

E-mail ID- secy-kalanaur@ulbharyana.gov.in Off Tel. No. +91-01258-223180

JE

सार्वजनिक सूचना / मुनादी

नगर पालिका कलानौर के सभी निवासियो को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से कलानौर स्वच्छता के क्षेत्र मे निरंतर प्रगति के स्तर पर अग्रसर है। पूर्व मे ही नगर पालिका कलानौर स्वंय को खुले में शौच मुक्त, रिहायशी क्षेत्र में कूडेदान रहित व गन्दगी के पुराने ढेरों से मुक्त शहर किया जा चूका है। इसलिए कलानौर के निवासियो से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:–

- Plastic waste Management(Amendment)Rule-2016 के तहत दिनांक 31 दिसम्बर 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के 120 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक इस्तेमाल पर पूर्णतय प्रतिबंद्व है, जिसका निर्माण, आयात,स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री पर पूर्णतय प्रतिबंद्व हो चूका है जैसे प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की डंडिया, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के प्लेट, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक के चाकू, मिठाई के डिब्बो के इर्द–गिर्द पैक करने वाली फिल्मे प्लास्टिक के निमंत्रण कार्ड, 120 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर आदि। उपरोक्त की पालना न करने पर निम्नलिखित चालान किये जाएगे।

क0सं0	कैरी बैग की निषिद किस्म की गुणवत्ता	राशि रूपये में
1	100 ग्राम तक	500/–
2	101 ग्राम से 500 ग्राम तक	1500/–
3	501 ग्राम से 1 किलो तक	3000/–
4	1 किलो से 5 किलोग्राम तक	10000/–
5	5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक	20000/–
6	10 किलोग्राम से अधिक	25000/–

- सभी बल्क वेस्ट जनरेटर(50 कि0ग्रा0 से अधिक) अपने संस्थान/प्रतिष्ठान से निकलने वाले गीले कूडे का निस्पादन अपने संस्थान/प्रतिष्ठान के अन्दर ही अपने स्तर पर ही करना सुनिश्चित करेगें।
- नगर पालिका कलानौर द्वारा C&D waste Management Rule-2016 के तहत C&D waste के लिए जगह चिन्हित की हुई है **जो नजदीक खेरडी मोड, मॉ सरस्वती कालेज के सामने नगरपालिका कलानौर की भूमि किला नं0 66/24/2 है।** नगर वासियो से अपील की जाती है कि अपना C&D waste नगरपालिका द्वारा चिन्हित स्थान पर ही डाले। अगर कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसे उचित जुर्माना किया जाएगा।
- सीवेज के अवैध निपटान को नियंत्रित करने व सीवरेज टैंकरो के सप्लायरो के पंजीकरण करने व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उसके डिस्पोजल के लिए सूचित किया जाता है कि टैंकरो के इच्छुक सप्लायर 31.12.2023 से पूर्व नगरपालिका कलानौर के साथ स्वंय को पंजीकृत करे अन्यथा टैंकर स्वामी के विरूध कार्यवाही की जाएगी, जिसमे 5000/–रूपयें प्रति टैंकर तक जुर्माना लगाया जाएगा अथवा 6 माह की सजा अथवा दोनो का प्रवाधान है।
- कलानौर की सभी स्वयं सेवी संस्थाओ,समाजसेवी व्यक्तियो व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सहयोगियो के साथ अनुरोध है कि कलानौर को स्वच्छतम शहर बनाने, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 मे अग्रतम स्थान दिलवाने मे सहयोग देना चाहते है तो वे नगरपालिका कलानौर मे अपना आवेदन देवें।
- सभी दुकानदार रोड पर व नालों इत्यादि पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा सामान जब्त कर लिया जाएगा।
- सभी दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सुखे व गील कुडे के लिए अलग–अलग ढक्कन वाले डस्टबीन रखें व कुडा न जलाये, अन्यथा SWM 2016 के नियमों के तहत जुर्माना लगाया जायेगा।

सूचित रहें।

Secretary
Municipal Committee
Kalanaur

30/11/23

P.I.
30/11/2023

Scanned with AnyScanner